

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1903/2012/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-अ, अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सैनी सीमेंट एजेंसीज,
अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित।

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 11/आरवेट/2011-12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 20.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त अ, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, एवं 24 के तहत आरोपित कर राशि रूपये 13,280/-, ब्याज राशि रूपये 3,718/- एवं शास्ति राशि रूपये 26,561/- को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण दिनांक 02.02.2011 को पारित किया जाकर कर राशि रूपये 11,03,339/- का आरोपण किया, जिस पर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में कमीशन/डिस्काउंट के रूप में राशि रूपये 1,06,242/- प्राप्त करना दर्शाया गया, जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा करापवंचन की मंशा मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, सशक्त अधिकारी द्वारा नोटिस का अवलोकन कर कमीशन/डिस्काउंट को अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का भाग मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपीलार्थी विभाग की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में कमीशन/डिस्काउंट के रूप में राशि रूपये 1,06,242/- प्राप्त करना दर्शाया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहारी को रूपये 1,06,242/- लाभ स्वरूप बाद में प्राप्त होने का मालूम था, तथा अधिनियम की धारा 2(36) में दी गई विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार बिक्री उपरान्त प्राप्त कमीशन/डिस्काउंट बिक्री मूल्य का ही एक भाग है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन किया गया है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी बिल्डिंग मैटेरियल का विक्रेता है, उसका ओपनिंग स्टॉक 98,22,142/- एवं क्लोजिंग स्टॉक 1,01,03,450/- है, इस अंतर को उसने अधिनियम की धारा 2(36) के तहत विक्रय मूल्य का भाग नहीं मानते हुए ऑडिट रिपोर्ट में कमीशन/डिस्काउंट के रूप में राशि रूपये 1,06,242/- प्राप्त करना दर्शाया गया। इस बिन्दु के संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) निम्नलिखित है-

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

6. "डिस्काउंट/कमीशन" के संबंध में अधिनियम की धारा 2(36) के प्रावधानों के गहन अध्ययन से विदित होता है कि बिक्री के समय दी जाने वाली नकद/व्यापारिक छूट, जो विक्रय बिल में दर्शायी गई है, को विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जावेगा, लेकिन विक्रय के पश्चात् जारी किये गये डिस्काउंट/कमीशन को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जावेगा।

7. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद पर डिस्काउण्ट/कमीशन प्राप्त किया गया है, न कि विक्रय मूल्य पर। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित विक्रय कीमत को मनमर्जी से बढ़ाया जाकर करारोपण विधि सम्मत नहीं है। माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी उदयपुर; (2012) 33 टैक्स अपडेट 270 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी जोधपुर बनाम मैसर्स मिर्चूमल इलेक्ट्रॉनिक्स; (2012) 34 टैक्स अपडेट 117 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जालोर बनाम मैसर्स सोलंकी कृषि भण्डार; टैक्स डाइजेस्ट

वॉल्यूम-1 पार्ट-1 पेज 31 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त जालौर बनाम मैसर्स अम्बिका सीमेन्ट एजेन्सीज, सायला व अन्य एवं (2014 40 अपडेट 203 सहायक आयुक्त, वृत्त-ए, भरतपुर बनाम मैसर्स किशोरी श्याम ब्रिजेश कुमार, भरतपुर में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है

8. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य